POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2018-20 (RNI. REG. NO 39658/1983) # ग्रा.ग./2018/अंक 10

मासिक प्रेषण दि. 8 अक्टूबर, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 अक्टूबर, 2018 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम ! देश में जब भी चुनाव नजदीक आते हैं, राजनीतिक दल मतदाताओं को रिझाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते। उनके हक में घोषणाओं का अम्बार लग जाता है। उन्हें बरगलाने के भी प्रयास किए जाते हैं।

कभी गरीबी, भूख व कुपोषण तो कभी जाति व सम्प्रदाय के नाम पर बरगलाया जाता है। उनकी भलाई के लिए कई नई योजनाएं व कार्यक्रम शुरू करने के वादे किए जाते हैं। इन सबके पीछे केवल एक ही लक्ष्य होता है, अपना वोट बैंक पक्का करना।

राजस्थान विधानसभा के चुनाव एकदम नजदीक आ गए हैं। सत्ता पर बैठी सरकार हो या अन्य राजनीतिक दल सभी भागमभाग में लगे हैं। एक ओर राज्य की मुख्यमंत्री गौरव यात्रा के माध्यम से अपने शासनकाल में किए गए कामों का हिसाब-किताब जनता के सामने रखकर सरकार की उपलब्धियां गिना रहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ अपनी नाकामियों पर पर्दा डालते हुए फिर से नई-नई घोषणाओं का पिटारा खोलने में व्यस्त हैं।

उधर मुख्य विरोधी दल कांग्रेस के मुखिया संकल्प यात्रा के जरिए मतदाताओं पर अपनी पैठ जमाने में लगे हैं। उनके पास वर्तमान सरकार की नाकामियों के मकड़जाल को जनता के सामने लाने और वायदे करने के सिवा और कुछ नहीं है।

चुनावों में यह सब जनता पहले भी देखती आई है। इस बार हर मतदाता को गहन विचार कर अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करना होगा। केवल स्वच्छ छवि और ईमानदार जनप्रतिनिधि ही विधानसभा में पहुंचे, इसके लिए संकल्पित होना है। यदि आपको किसी भी दल का कोई भी उम्मीदवार सही नहीं लगता है तो आपके पास 'नोटा' का बटन दबाने का भी विकल्प है।

भ्रष्टाचार निरोधक कानून में बदलाव: लेनी होगी सरकार की इजाजत

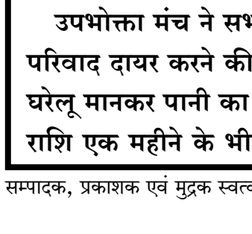

केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) अधिनियम 2018 लागू कर धारा 17 ए सहित विभिन्न धाराओं में संशोधन कर दिया है।

इस बाबत हाईकोर्ट में दायर अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी की जनहित याचिका पर प्रार्थीपक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जी.एस. बापना ने कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार ने धारा 17 ए सहित विभिन्न धाराओं में संशोधन कर दिया है। धारा 17 ए में प्रावधान कर दिया है कि पदीय कर्तव्य के मामलों में सरकार से पूर्व अनुमति बिना पुलिस किसी लोकसेवक के खिलाफ जांच या अनुसंधान नहीं कर सकेगी। केवल मौके पर गिरफ्तारी के लिए पूर्व अनिवार्य की बाध्यता नहीं होगी।

पुलिस अनुसंधान व जांच पर रोक क्यों ?

जनहित याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग व न्यायाधीश जी.आर. मूलचंदानी की खंडपीठ ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने केंद्रीय केबिनेट सचिव और कानून मंत्रालय को नोटिस जारी कर पूछा है कि संशोधित भ्रष्टाचार निरोधक कानून में पुलिस जांच और अनुसंधान पर रोक क्यों लगाई है ?

धारा 17 ए के तहत भ्रष्टाचार के मामलों में बिना अभियोजन स्वीकृति कोर्ट भी लोकसेवक के खिलाफ प्रसंज्ञान नहीं ले सकता है। इससे भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण मिलता है। कानून में जांच और अनुसंधान से पहले अभियोजन स्वीकृति की शर्त लगा दी गई है, जो त्वरित जांच और अनुसंधान के लिए बाधा है।

पीएचईडी पर एक लाख दस हजार रुपए का जुर्माना

जिला उपभोक्ता मंच जयपुर-प्रथम ने मनमाने तरीके से और सुनवाई का मौका दिए बिना ही 22 परिवादियों को घरेलू की जगह अघरेलू पानी का बिल जारी करने पर पीएचईडी दूदू पर कुल एक लाख दस हजार रुपए हर्जाना लगाया है।

मामले के अनुसार कृष्ण कुमार व अन्य 21 लोगों ने जिला उपभोक्ता मंच जयपुर-प्रथम में पीएचईडी दूदू के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में मंच को बताया गया कि पीएचईडी दूदू ने फरवरी 2014 में उन्हें बढ़ा बिल जारी किया और दिसंबर से 52 रुपए की जगह 311 रुपए का बिल जारी कर दिया। मामले की सुनवाई पर पीएचईडी दूदू की ओर से कहा गया कि परिवादियों ने अपने घर में दुकान बना रखी थी। इसके जवाब में परिवादी ने कहा कि उन्हें सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया। पीएचईडी विभाग की जून 2016 की एक नोटिफिकेशन है जिसमें 200 वर्गफुट तक की दुकान को घरेलू श्रेणी में माना है।

उपभोक्ता मंच ने सभी तथ्यों पर गौर करने के बाद पीएचईडी दूदू को आदेश दिया कि वह परिवाद दायर करने की तारीख से प्रार्थियों के रिहायशी मकान में लगे पानी के कनेक्शन को घरेलू मानकर पानी का बिल जारी करें। साथ ही प्रत्येक परिवादी को पांच हजार रुपए हर्जाना राशि एक महीने के भीतर अदा करें।

जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता पर कार्यशाला आयोजित

ग्राहकों को बताई बैंक योजनाएं और शिकायत निवारण प्रणाली

ग्रामीण किसान अपने क्षेत्र के बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड और मुद्रा योजना आदि के माध्यम से ऋण लेकर कृषि से सम्बन्धित अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सकते हैं।

'कट्स' द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से मॉडल स्कूल, मालीखेड़ा, पंचायत समिति कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ के सभागार में आयोजित जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कार्यशाला में बैंक ऑफ बड़ौदा के वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक फतेहसिंह सुराणा ने मुख्य वक्ता के रूप में यह जानकारी देते हुए ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया एवं बैंकों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया।

कार्यशाला में 'कट्स' के सहायक निदेशक दीपक सक्सेना ने बताया कि बैंक खाता खुलवाते समय उत्तराधिकारी (नोमिनी) का हवाला नहीं देने से खाताधारक की मृत्यु के बाद या अन्य कारणों से ग्राहकों का पैसा बैंक में पड़ा रह जाता है। जिसको डेफ फण्ड के नाम से जाना जाता है। रिजर्व बैंक के पास इस फण्ड में 6835 करोड़ रुपए पड़े हैं। इस फण्ड से ग्राहकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस अवसर पर बैंक ऑफ बड़ौदा के एफएलसी कोर्डिनेटर पुखराज नाहर ने प्रमुख परीक्षक के रूप में बैंकिंग सेवाओं और शिकायत निवारण प्रणाली से अवगत कराया।

कार्यशाला के प्रारंभ में 'कट्स' मानव विकास केंद्र चितौड़गढ़ के समन्वयक गौहर महमूद ने बताया कि रिजर्व बैंक के सहयोग से चित्तौड़गढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए जा रहे जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम के तहत ग्राहकों को बैंकिंग कार्यप्रणाली, शिकायत निवारण प्रणाली और उनके अधिकारों से वाकिफ कराकर जागरूक किया जा रहा है। कार्यशाला में मेवदा कॉलोनी, कपासन और भूपालसागर के 63 सहभागियों की सक्रिय भागीदारी रही।

कृषि से जुड़े परिवारों पर है कर्ज का बोझ

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कृषि से जुड़े 52.5 फीसदी परिवार आज भी कर्ज के बोझ तले जी रहे हैं। यह ही नहीं गैर कृषि आधारित 42.8 फीसदी परिवारों पर भी कर्ज का भार है। अखिल भारतीय स्तर पर 47.4 फीसदी ग्रामीण परिवारों पर कर्ज है।

हाल ही खरीफ फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी पर अपनी वाहवाही कर रही केंद्र सरकार को इन आकंड़ों ने इस मोर्चे पर फिर से एक बार कटघरे में खड़ा कर दिया है।

अखिल भारतीय वित्तीय समावेश सर्वेक्षण के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में अब भी लोगों की मासिक आय का महज 19 फीसदी हिस्सा ही खेती से आ रहा है। जबकि औसत आमदनी में दिहाड़ी मजदूरी का हिस्सा 40 फीसदी से ज्यादा है।

फसल बीमा से किसानों को नुकसान

किसानों को जोखिम से बचाने के लिए लाई गई नई फसल बीमा योजना में बीमा कंपनियों को फायदे और किसानों को हर स्तर पर नुकसान उठाना पड़ा। हाल ही राज्य विधानसभा में रखी गई कैग की रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है।

रिपोर्ट में मौसम आधारित फसल बीमा योजना और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में बीमा कंपनियों के चयन से लेकर फसल खराबे पर किसानों को बीमा राशि के भुगतान में लगभग 50 करोड़ रुपए की धांधली सामने आई है। बीमा कंपनी के चयन में गड़बड़ी के चलते प्रदेश के एक लाख 17 हजार किसानों को डेढ़ करोड़ रुपए के दावे कम मिले।

ग्रामीण मजदूरी पर पड़ी तगड़ी मार

नोटबंदी के बाद देश के ग्रामीण इलाकों में मजदूरी के बढ़ने की दर में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। यह गिरावट इतनी अधिक है कि वित्तीय वर्ष 2013-15 के दौरान जहां पारिश्रमिक बढ़ने की दर 11 फीसदी थी वह नोटबंदी केबाद वित्तीय वर्ष 2016-18 में घटकर महज 0.45 फीसदी रह गई।

इंडिया रेटिंग के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में कृषि समेत रोजगार के 25 क्षेत्रों में किए गए सर्वेक्षण में यह स्थिति सामने आई है। शोध के मुताबिक यह गिरावट सरकार द्वारा ग्रामीण मजदूरी बढ़ाने और ग्रामीण रोजगार योजना को सहारा देने के प्रयासों के बावजूद दर्ज की गई है।

गांव और गरीब के दरवाजे तक बैंक

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत करते हुए कहा कि इसके जरिए हम बैंक को गांव और गरीब के दरवाजे तक पहुंचाने का काम शुरू कर रहे हैं। इससे देश के अर्थतंत्र व सामाजिक व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन आएगा।

उन्होंने कहा कि देशभर के 650 जिलों में इंडिया पोस्ट पेमेंट की शाखाएं शुरू हो रही है तथा इस साल के अंत तक सभी 1.55 लाख डाकघरों को पेमेंट बैंक से जोड़ दिया जाएगा, इसमें पूरी हिस्सेदारी सरकार की होगी। देशभर में 1.3 लाख डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इससे दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों तक डाक बैंकिंग सेवाओं का विस्तार होगा, जिनसे ऋण सुविधा को छोड़कर सब सुविधाएं मिल सकेंगी।

आधी आबादी को बनाया मुखिया

भारतीय समाज पुरुष प्रधान माना जाता है लेकिन प्रदेश में भामाशाह योजना ने यह तस्वीर बदल दी है। आंकड़े बता रहे हैं कि प्रदेश में एक करोड़ 58 लाख से ज्यादा परिवारों की कमान अब महिला मुखियाओं के हाथ में है। इनमें से भामाशाह योजना का लाभ ले रही महिलाओं की तादाद 12 लाख 15 हजार है।

प्रदेश में अब तक पुरुषों से करीब एक लाख 10 हजार से ज्यादा महिलाओं ने भामाशाह स्वास्थ्य योजना का लाभ उठाया है। इस योजना में 23 लाख 22 हजार 798 लोगों को लाभ मिला है। इनमें पुरुषों की संख्या 11 लाख 03 हजार है। काबिलेगौर है कि जिन पुरुषों को इस योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ मिला है वह भी परिवार की महिला मुखिया के नाम से बने भामाशाह स्वास्थ्य कार्ड से संभव हुआ है।

जारी रहेगी जनधन योजना

विश्व बैंक ने प्रधानमंत्री जनधन योजना को दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समायोजन योजना बताया है। इसके तहत पिछले चार सालों में 32 करोड़ 41 लाख खाते खुले हैं। इस योजना को प्रति परिवार की बजाय प्रति वयस्क व्यक्ति तक विस्तार करने का निर्णय लिया गया है।

यह जानकारी वित्तमंत्री अरुण जेटली ने देते हुए बताया कि इसके साथ ही जनधन खाते में मिलने वाला ओवर ड्राफ्ट (ओडी) और बीमा राशि को भी दोगुना कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान जनधन खातों पर ओडी की सीमा 5000 ही रहेगी। नए खुलने वाले खातों पर यह सीमा 10 हजार रुपए रखने का निर्णय लिया गया है।

निःशुल्क बंटेंगे सेनेटरी नेपकिन

प्रदेश में करीब एक करोड़ 43 लाख ग्रामीण महिलाओं को वितरित किए जाने वाले सेनेटरी नेपकिन अब निःशुल्क बांटे जाएंगे। प्रदेश के इसी साल के बजट में घोषित इस योजना को पहले निःशुल्क के बजाय सःशुल्क कर दिया गया था।

अब नई व्यवस्था के तहत प्रति माह एक पैकेट यानी 6 नेपकिन निःशुल्क दिए जाएंगे। मानना है कि प्रदेश में करीब 70 फीसदी ग्रामीण महिलाएं सेनेटरी नेपकिन का हर महीने खर्च उठाने में सक्षम नहीं है। सेनेटरी नेपकिन का उपयोग नहीं करने से महिलाओं में संक्रमण का खतरा रहता है। योजना के तहत नेपकिन का वितरण स्कूल, कॉलेज, आंगनबाडी केंद्र, उप-स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से किए जाने का प्रावधान है।

सामने आया मनरेगा का सच

राजस्थान सरकार ने मनरेगा के तहत पांच साल में एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया है, जबकि सौ दिन से अधिक की मजदूरी पाने वालों की संख्या महज 10 फीसदी है।

मनरेगा के इस सच का खुलासा नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कैग) की रिपोर्ट से हुआ है। कानूनन प्रत्येक परिवार को वर्ष में न्यूनतम सौ दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए, मगर वर्ष 2013 से 2017 तक 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराने का प्रतिशत मात्र 9.91 प्रतिशत ही रहा।

वर्ष 2015-16 में राजसमंद की भीम पंचायत समिति में मात्र एक मामले में 1564 रुपए का बेराजगारी भत्ता जारी किया गया है। हकीकत में पंचायत स्तर पर रोजगार आवेदन पत्र तक उपलब्ध नहीं है।

डीजल ने बढ़ाई किसानों की मुश्किल

डीजल की आसमान छूती कीमतों से किसान परेशान है। इससे फसल की लागत 40 फीसदी तक बढ़ने की आशंका है। जानकारों का मानना है कि डीजल की बढ़ती कीमत का सीधा असर इससे आगे केदिनों में रबी की फसल पर पड़ेगा।

यह रबी की फसल की बुआई का वक्त है। इसमें ट्रैक्टर का इस्तेमाल काफी हो रहा है। इसके अलावा फसल तैयार होने के पहले और बाद में सिंचाई के लिए पम्पिंग सेट में भी डीजल का उपयोग होगा। इससे किसानों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई नुकसान होने की संभावना है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर